देश में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित, सभी को मिलकर काम करने की जरूरत : किरण रिरिजू

न्याय तक पहुंच, अन्य अधिकारों की रक्षा के काम आने वाला अधिकार है : रमन्ना

जयपुर, (का.सं.)। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश में पांच करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित चल रहे हैं। ऐसे में सन 2047 में क्या हालात होंगे। ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए की अगले दो सालों में दो करोड़ मुकदमे कम हो जाए। वहीं यदि इसके लिए नियम बनाने की जरूरत पड़े तो विधायिका को आगे आना चाहिए। केन्द्रीय कानून मंत्री 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथोरिटी मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम जन को राहत देने के लिए न्यायपालिका ओर कार्यपालिका के बीच तालमेल की जरूर है। दोनों साथ चलेंगे तभी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने का सपना साकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आज अमीर व्यक्ति अच्छा वकील कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई वकील हैं, जो एक पेशी के बीस लाख रुपए तक फीस ले रहे हैं। ऐसे में आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में केस करने का खर्चा नहीं भुगत सकता।

रिजिजू ने कहा कि न्याय केवल सक्षम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। आम आदमी को किसी भी कारण से न्याय से दूर रखा जाता है तो वह चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ कोर्ट कक्ष में ही नहीं, आमजन के द्वार जाकर भी दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार आमजन को राहत देने के लिए अनावश्यक कानूनों को समाप्त कर रही है।

नालसा की ओर से आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमन्ना ने चर्चा की।

केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा कि देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या तीन लाख पचास हजार बढ़ी है। हर जिले में डीजे की रिव्यू कमेटी होती है। उसे कैदियों की रिहाई के मामलों को देखना चाहिए। इसके साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने हाईकोर्ट और निचली अदालतों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जेल में लाखों विचाराधीन कैदी बंद हैं। कई साल बाद जब कैदी बरी होता है तो उस पर क्या बीतती होगी। सीएम गहलोत ने कहा कि वकीलों की फीस एक करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं अब जज भी वकील की फेस वैल्यू देखकर फैसला देने लगे हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। न्यायपालिका नियत्रंक की भूमिका में है, ऐसे में उन्हें देश के हालत पर विचार करना चाहिए।

सीएम गहलोत ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि चुनी हुई सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग से बदला जा रहा है। यह कहां का लोकतंत्र हैं। कई राज्यों में सरकार बदल दी गई, राजस्थान में बडी मुश्किल से सरकार बची वरना यहां कोई दूसरा सीएम खडा होता।

समारोह में सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि न्याय तक पहुंच, अन्य अधिकारों की रक्षा के काम आने वाला अधिकार है। देश में छह लाख 11 हजार कैदी हैं। इनमें से अस्सी फीसदी कैदी विचाराधीन हैं। इनके मामलों को तय करने के लिए प्रभावी कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में प्रक्रिया ही दंड है। इसके साथ ही अदालतों में न्यायाधीशों के पदों को भरने के साथ ही संसाधनों को भी बढाने की जरूरत है। समारोह में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कई डिजीटल टूल भी लॉन्च किए गए।

प्रदेश में एक ही दिन में दो सौ से ज्यादा नए करोना संक्रमित मिले

राज्य में शनिवार को 220 नए संक्रमित सामने आए है, इनमें सबसे ज्यादा 66 मरीज जयपुर में पाए गए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि का क्रम बना हुआ है। इसके चलते शनिवार को एक ही दिन में राज्य में 220 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले चौबीस घंटों में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 1258 हो गए हैं।

प्रदेश में चार महीनों के बाद फिर नए करोना संक्रमितों का आंकड़ा दो सौ के पार पहुंच गया है। शनिवार को 16 जिलों में 220 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले शुक्रवार को 174 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में थोड़ी और वृद्धि के बाद 66 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 54, बीकानेर में 33, अजमेर में 15, उदयपुर में 11, अलवर में 10, प्रतापगढ़ में 9, नागौर में 7, चित्तौड़गढ़ व दौसा में 3-3, चूरू, सीकर व सिरोही में 2-2 तथा बांसवाड़ा, बाड़मेर और झालावाड़ में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 17 जिलों बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, करौली, कोटा, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में पिछले दो दिन अच्छी रिकवरी होने के बाद शनिवार को फिर इसमें कमी आई है। इस दौरान केवल 82 ही मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 1258 हो गए हैं। राजधानी जयपुर में भी 38 मरीजों के रिकवर होने से एक्टिव केस बढ़कर 408 हो गए हैं। वहीं जोधपुर में 243 और बीकानेर में 188 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक इस बीमारी से 9572 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

- **जोधपुर में 54, बीकानेर में 33, अजमेर में 15 व उदयपुर में 11 नए संक्रमित मिले हैं।**
- **प्रदेश में फिर रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर साढ़े बारह सौ से अधिक हो गए हैं।**

मालवीय नगर में 11 नए संक्रमित मिले

जयपुर में सबसे ज्यादा 11 नए संक्रमित मालवीय नगर में मिले हैं। इसके अलावा वैशाली नगर में 8, मानसरोवर में 6, सांगानेर व जगतपुरा में 5-5, दुर्गापुरा में 4, जवाहर नगर में 3, बजाज नगर, गांधी नगर, झोटवाड़ा व टोंक रोड इलाके में 2-2 तथा आदर्श नगर, बनीपार्क, बस्सी, सी-स्कीम, चाकसू, चांदपोल, सिविल लाइन्स, गुजर की थड़ी, कोटपूतली, फागी, सांभर, शास्त्री नगर और सोड़ाला में 1-1 नया संक्रमित मिला है। वहीं 3 संक्रमितों को ट्रेस किया जा रहा है।

प्रदेश में सवा लाख से अधिक बूस्टर डोज लगी

केन्द्र सरकार की ओर से निशुल्क बूस्टर डोज लगाए जाने की घोषणा के बाद शुक्रवार से राजस्थान में भी विभिन्न केन्द्रों पर कोरोना रोधी बूस्टर डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रदेश के टीकाकरण समन्वयक डॉ.रघुराज सिंह ने बताया कि शनिवार को प्रदेश में एक लाख 27 हजार 872 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाया।

राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां पूर्ण, विधायक जयपुर में, तो सांसद दिल्ली में वोट डालेंगे

हालांकि आवेदन करके सांसद विधानसभा में तो विधायक किसी भी प्रदेश में कर सकते थे मताधिकार का प्रयोग

जयपुर, (का.प्र.)। राष्ट्रपति चुनाव में 18 जुलाई को होने वाले मतदान में सभी विधायक विधानसभा में, तो सांसद दिल्ली में संसद वोट करेंगे। हालांकि सांसद किसी भी राज्य की विधानसभा में वोट डाल सकते हैं। वहीं विधायक भी किसी भी प्रदेश की विधानसभा में वोट डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले ही विधानसभा में आवेदन करना होता है। राजस्थान विधानसभा में किसी भी सांसद ने वोट डालने के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे में राजस्थान के सभी 35 सांसद दिल्ली जाकर संसद भवन में मतदान करेंगे। वहीं राज्य के सभी 200 विधायक राज्य विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में हर राज्य के सांसद और विधायक की वोट वैल्यू अलग-अलग होती है राजस्थान के सांसद की वोट वैल्यू 700 वहीं विधायक की वोट वैल्यू 129 है। राजस्थान में सांसद-विधायक को मिलाकर कुल 235 वोट पड़ेंगे, जिनकी कुल वोट वैल्यू 50 हजार 300 है। राजस्थान के कुल 200 विधायकों के वोटों की वैल्यू 25 हजार 800 है। सांसद के वोट की वैल्यू 24 हजार 500 है। इस प्रकार विधायक की एक ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के खाते में 129 और एक सांसद के वोट से 700 वोट जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सांसदों के वोट पूरे देश में एक ही प्वाइंट वैल्यू रखते हैं, लेकिन विधायकों के वोटों की वैल्यू हर राज्य में जनसंख्या और विधानसभा की सीटों के अनुसार होती है। राजस्थान में सभी सांसद दिल्ली जाकर वोट डालेंगे। हालांकि, वे जयपुर में भी विधानसभा जाकर वोट कर सकते थे, लेकिन एक भी सांसद ने इसके लिए कोई आवेदन नहीं दिया है। किसी भी सांसद को अगर अपने राज्य या अन्य राज्य में वोट डालना हो तो उसे इसके लिए आवेदन करना होता है, जिसकी अंतिम तिथि 12 जुलाई थी। प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इसके लिए किसी भी सांसद ने आवेदन नहीं किया है। ऐसे में अब राजस्थान के सभी 35 सांसद दिल्ली में जाकर ही अपना वोट डाल सकेंगे।

- **सांसद की वोट वैल्यू 700, राजस्थान के विधायक की वोट वैल्यू 129 है**
- **मिस्टर बैलट बॉक्स दो दिन पहले विमान से जयपुर पहुंच गया है**

प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोई भी विधायक अगर अन्य प्रदेश में होने पर उस राज्य में अपना वोट डाल सकता है, लेकिन उसके लिए भी विधायकों को पहले सूचना देनी पड़ती है, ताकि उनका मतदान पत्र संबंधित राज्य को भेजा जा सके। राजस्थान में एक भी विधायक ने इस तरह का भी कोई आवेदन नहीं किया है। ऐसे में साफ है कि राजस्थान के सभी विधायक विधानसभा जाकर वोट करेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के खत्म होने के बाद दिल्ली से आया मिस्टर बैलेट बॉक्स पूरे प्रोटोकॉल के साथ संसद के लिए रवाना कर दिया जाएगा। मिस्टर बैलट बॉक्स दो दिन पहले विमान से जयपुर पहुंच गया है, जिसे कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा में रखवा दिया गया है।

राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार जयपुर पहुंचकर विधानसभा जाकर वोटिंग की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो इसको लेकर पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्टिंग सीधे भारत निर्वाचन आयोग को करेंगे। गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जाएगा। किसी विधायक के संक्रमित होने की स्थिति में उन्हें सबसे लास्ट में मतदान के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि अभी प्रदेश में किसी विधायक के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी नहीं है।

जांच रिपोर्ट मंगवाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर, (का.सं.)। एसीबी मामलो की विशेष अदालत ने एनआरएचएम रिश्वत मामले में जांच रिपोर्ट मंगाने के संबंध में दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। मामले में 1 अगस्त को चार्ज बहस होगी।

मामले में दीपा गुप्ता ने एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि जिन लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी गई उनमें अब तक क्या जांच हुई इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी चाहिए। जिसका विरोध करते हुए एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपी मामले में चार्ज बहस टालना चाहते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी जाए। जांच अधिकारी कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच में व्यस्त है। जिसकी वजह से अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं जिस पर कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए चार्ज बहस के लिए एक अगस्त की तारीख तय कर दी।

गौरतलब है की एसीबी ने 18 मई, 2016 को एनआरएचएम में रिश्वत के आरोप में दलाल अजीत सोनी, स्टोर इंचार्ज जोजी वर्गीस और लेखाधिकारी दीपा गुप्ता को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद 31 मई 2016 को आइएएस नीरज के पवन को गिरफ्तार किया था। जिनको कोर्ट ने बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था। मामले में एसीबी ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कुछ के खिलाफ जांच लंबित रखी थी।

विवि कुलपति के पद पर अपात्र की नियुक्ति क्यों : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाइकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति के तौर पर कम योग्यता वाले प्रोफेसर को नियुक्त करने पर उच्च शिक्षा सचिव और राज्यपाल सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है। सीएम एसएस शिंदे और जस्टिस अनूप ढंड की खंडपीठ ने यह आदेश प्रोफेसर आरबी सिंह की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने मामले में कुलपति राजीव जैन को गत 15 फरवरी को नोटिस जारी किए थे।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि प्रोफेसर राजीव जैन को गत 9 सितंबर को राजस्थान विवि का कुलपति नियुक्त किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों के तहत विवि में कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास प्रोफेसर के तौर पर 10 साल का अनुभव होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास अच्छा शैक्षिणक रिकॉर्ड होना चाहिए। जबकि वीसी नियुक्त किए गए राजीव जैन के पास प्रोफेसर पद का 10 साल का अनुभव नहीं है। वहीं उन्होंने 55 फीसदी से कम अंकों से स्नातक किया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राजीव जैन का एक भी रिसर्च पेपर स्तरीय नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित नहीं हुआ। वहीं उन्होंने अपनी 22 पुस्तकें प्रकाशित होने का दावा किया है, जबकि इनमें से अधिकांश पुस्तकें पासबुक जैसी हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि नियमानुसार वीसी चयन के लिए बनी सर्च कमेटी में कोई भी सदस्य विवि से सम्बद्ध नहीं होना चाहिए। जबकि इस कमेटी के सदस्य विवि से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इसलिए राजीव जैन की कुलपति के पद पर नियुक्ति को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कुलपति राजीव जैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बहुमंजिला आवास निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के गांधीनगर स्थित ट्रांजिट हॉस्टल के पुराने 40 क्वार्टर्स को ध्वस्त कर 32 बहुमंजिला आवासों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। गहलोत के इस निर्णय से पुराने हॉस्टल के स्थान पर नवीन बहुमंजिला आवास का निर्माण हो सकेगा। इसमें बनने वाले 4 नवीन टावरों में से प्रत्येक में 8 प्रथम श्रेणी के आवास बनेंगे।

सीएम ने किया राजस्थानी आर्टिजन्स की स्टॉल्स का दौरा

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जे.ई.सी.सी.,सीतापुरा में चल रहे 18वें अखिल भारतीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के दौरान सम्मेलन स्थल पर लगे हुए स्टॉल्स का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने स्टॉल्स में प्रदेश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिल्पकारों द्वारा निर्मित विभिन्न राजस्थानी परिधान, ज्वैलरी, ब्रास मेटल वर्क, सांगानेरी प्रिंट, ब्लू पोट्री, राजस्थानी बैंगल्स, पुस्तकें आदि राजस्थान की लोक कला व संस्कृति से जुड़े उत्पादों का अवलोकन किया।

राजस्थान के किसान सुरेन्द्र अवाना "जगजीवनराम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर अवार्ड" से सम्मानित

जयपुर। राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेन्द्र अवाना को कृषि एवं पशुपालन में किए गए नवाचारों के लिए जगजीवनराम अभिनव एवं इनोवेटिव फॉर्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जयपुर जिले के भैराणा में खेती किसानी एवं पशुपालन करने वाले सुरेन्द्र अवाना को आज यह सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 94वें स्थापना दिवस पर विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला व कैलाश चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रदान किया।

इस अवसर पर आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा सहित कृषि क्षेत्र के अनेक वैज्ञानिक, देशभर से आए किसान एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अवाना राजस्थान के एक मात्र किसान है, जिन्हें आज कृषि एवं पशुपालन में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। अवाना इससे पहले भी अपने विभिन्न नवाचारों के लिए कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। अवाना को अब तक मिले पुरस्कारों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 पिछले वर्ष गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय पशुपालन दिवस पर प्रदान किया गया था। इसी प्रकार अपने नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार-2021, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राष्ट्रीय हलधर ऑर्गेनिक अवार्ड 2019, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषक प्रोत्साहन पुरस्कार 2021, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी द्वारा प्रगतिशील कृषक सम्मान 2020, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल द्वारा नस्ल सुधार हेतु प्रशस्ति प्रमाण पत्र 2020 भी प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें राजस्थान के राज्यपाल द्वारा गौ आधारित एवं एकीकृत कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर 2019 में सम्मानित व राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती का प्रथम पुरस्कार 2021 व राज्य स्तरीय कई संस्थानों द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।

कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को जेल भेजा

एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी और फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला को जेल भेज दिया है।

जयपुर, (का.सं.)। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी और फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला को जेल भेज दिया है।

एनआईए की ओर से तीनों आरोपियों को सुरक्षा के बीच विशेष न्यायालय में पेश किया गया। एनआईए की ओर से अधिवक्ता टीपी शर्मा ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ पूरी कर ली गई है। ऐसे में अब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज देना चाहिए। इस पर अदालत ने तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। इससे पहले अदालत ने गत 12 जुलाई को शेष चार आरोपियों को जेल भेज दिया था।

गौरतलब है कि कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट ने गत 2 जुलाई को हत्या करने वाले मोहम्मद रियाज, गौस मोहम्मद के साथ ही मोहसिन खान व आसिफ को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंपा था। इसके बाद एनआईए ने दो अन्य आरोपियों मोहम्मद मोहसीन व वसीम अली को गिरफ्तार कर कोर्ट से इनका भी पुलिस रिमांड लिया था। गत सुनवाई को अदालत ने गौस मोहम्मद, रियाज और बबला को पुलिस रिमांड पर भेजते हुए बाकी आरोपियों को जेल भेजा था।

उधर अब एनआईए की पूछताछ के बाद एटीएस भी इन सातों आरोपियों से कोर्ट आदेश के बाद पूछताछ कर सकती है। एटीएस अपने स्तर पर कानून व्यवस्था एवं आतंकी गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर अलग से जांच कर रही है। ऐसे में एटीएस भी अब कोर्ट से आरोपियों की रिमांड के लिए अपील कर सकती है।

मिश्र राष्ट्रपति भवन में रात्रिभोज में सम्मिलित हुए

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र शनिवार शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में रात्रिभोज में सम्मिलित हुए। भोज से पहले राष्ट्रपति भवन में मंचित नाटक भी उन्होंने देखा।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया-पाया

मेरा प्लाट नं. सी-756 पार्थ नगर जयपुर का मूल कब्जा पत्र क्रमांक नं. एफ-39, (सी-756) जोन-11, पार्थ नगर/2007/8164 जो कि मेरे नाम से जारी किया था। वह मेरे द्वारा कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समिति की योजना त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स खातीपुरा रोड जोटवाड़ा में दुकान नंबर 4 के लिए श्री महेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मालीराम अग्रवाल, झोटवाड़ा ने डुप्लीकेट आवंटन पत्र रसीद के लिए आवेदन किया है। किसी व्यक्ति/संस्था को ऐतराज हो तो सात दिवस में संपत्ति कार्यालय पर मय मूल दस्तावेज के एतराज करावे वरना समय बाद समिति श्री महेंद्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मालीराम अग्रवाल के पक्ष में डुप्लीकेट आवेदन पत्र रसीद जारी कर देगी। जिसकी समिति पदाधिकारी को नहीं होगी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड,जयपुर
मो. 9782689990

दी सांगानेर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., जयपुर
क्रमांकः SP-01 **आम सभा की सूचना** दिनांकः 16.07.2022
समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता हैं कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनांक 25.07.2022 को प्रातः 11.00 बजे समिति कार्यालय :- मकान नं. 70, नारायण विहार विस्तार के पास, सेक्टर-3, प्रतापनगर, सांगानेर पर आयोजित की जायेगी, जिसका एजेण्डा निम्नानुसार हैं :-1. गत आमसभा की पुष्टि। 2. समिति की गतवर्षो की ऑडिट का अनुमोदन एवं ऑडिट अनुपालना पर विचार। 3. विभाग द्वारा जारी संशोधित उपनियमों को अंगीकार करने पर विचार। 4. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से। अतः समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता हैं कि उपर्युक्त समय पर आम सभा में उपस्थित होवे।
मंत्री, दी सांगानेर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि., जयपुर

हरि नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर
क्रमांकः SP-01 **आम सभा की सूचना** दिनांकः 16.07.2022
समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनांक 25.07.2022 को प्रातः 11.00 बजे समिति कार्यालय :- होटल अजमेरा, टोंक फाटक, जयपुर पर आयोजित की जायेगी, जिसका एजेण्डा निम्नानुसार हैं :- 1. गत आमसभा की पुष्टि। 2. समिति की गत वर्षो की ऑडिट का अनुमोदन एवं ऑडिट अनुपालना पर विचार। 3. विभाग द्वारा जारी संशोधित उपनियमों को अंगीकार करने पर विचार। 4. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से। अतः समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त समय पर आम सभा में उपस्थित होवे।
मंत्री, हरि नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर
क्रमांकः SP-01 **आम सभा की सूचना** दिनांकः 16.07.2022
समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनांक 25.07.2022 को प्रातः 11.00 बजे समिति कार्यालय :- ए-4, अल्पना कॉलोनी विस्तार, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर पर आयोजित की जायेगी, जिसका एजेण्डा निम्नानुसार हैं :-1. गत आमसभा की पुष्टि 2. समिति की गत वर्षो की ऑडिट का अनुमोदन एवं ऑडिट अनुपालना पर विचार। 3. विभाग द्वारा जारी संशोधित उपनियमों को अंगीकार करने पर विचार। 4. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से। अतः समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता हैं कि उपर्युक्त समयपर आम सभा में उपस्थित होवे।
मंत्री, शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाव्य श्री हीरालाल जी कुमावत व इसकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण देवी निवासी-52, रघुनाथपुरी-सीकिण्ड, चौधरी पैट्रोल पम्प के पीछे, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर ने अपने पुत्र राजेश कुमावत व उसकी पत्नी श्रीमती सीता देवी व उसकी बेटी कनिका, पुत्र तनिष्क को अपनी चल अचल सम्पति से बेदखल कर दिया हैं। राजेश कुमावत व उसकी पत्नी सीता व उसके दोनो बच्चे कनिका, तनिष्क मेरे अभिभाव्य व उसकी पत्नी के कहने में नहीं हैं, आये दिन गृह क्लेश करते हैं तथा झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकियां देते है। यदि कोई व्यक्ति इनसे संव्यवहार रखता है तो मेरे अभिभाव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
भवदीय
(हेमराज मीना), एडवोकेट
मो. 8503871294
जयपुर
दिनांक - 16.07.22

नाम परिवर्तन

मैं पूजा रोहिरा पुत्री श्री वासुदेव रोहिरा उम्र 42 वर्ष पता फ्लैट नं. जी-1 ब्लॉक बी गोल्डन महक एंक्लेव डी-12, मीरा मार्ग बनी पार्क जयपुर से हूँ मैं घोषणा करती हूँ कि मेरा शादी से पूर्व नाम पूजा रोहिरा से शादी पश्चात बदलकर नाम स्वाति एलानी पत्नि रितेश एलानी है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

I have changed my name from Mrs Narendra Singh to MRS NARENDRA KUMARI for all purposes. I may please be known as (MRS NARENDRA KUMARI) in future. Address. S-29, Hanuman Nagar, Sirsi Road, Khatipura, Jaipur (Raj)-302021

I have changed my name From Kapil Kumar to Kapil Gurjar for all purpose. R/o village-Bagthar. Teh. Baseri, Dholpur, Rajasthan.

I have changed my name From Ajay Kumar Agarval To Ajay Kumar Agarwal S/W/D of Sunita Agarwal Resident B 202 GHP Indralok Bani Park, Jaipur.

कार्यालय ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा प. स. सांगानेर जयपुर
क्रमांक 136 ऑनलाइन निविदा सूचना संख्या 03/2022-23 दिनांकः- 15.07.2022
ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में राजस्थान पंचायतीराज नियम 181 के तहत सक्षम क्षेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाइन दरें ई- प्रोक्योरमेंट पद्धति से आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड / अपलोड किया जा सकता है।
NIB No PEZ2223A0067 UBN NO PEZ2223WSOB00070
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जगन्नाथपुरा — सरपंच, ग्राम पंचायत, जगन्नाथपुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत दादिया पंचायत समिति सांगानेर जयपुर
क्रमांक 84 ऑनलाइन निविदा सूचना संख्या 03/2022-23 दिनांकः- 15.07.2022
ग्राम पंचायत दादिया में राजस्थान पंचायतीराज नियम 181 के तहत सक्षम क्षेणी में पंजीकृत संवेदकों से ऑनलाइन दरें ई- प्रोक्योरमेंट पद्धति से आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड/ अपलोड किया जा सकता है।
NIB No PEZ2223A0066 UBN NO PEZ2223WSOB00069
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, दादिया — सरपंच, ग्राम पंचायत दादिया

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (उत्तर) स्थान जयपुर महानगर, जयपुर
राजेन्द्र भारद्वाज विरुद्ध वंशीधर वगैरह
वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।
प्रार्थना-पत्र संख्या -8/सन् 2020
नाम बंशीधर शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण पता प्लाट नं. 190 श्रीराम नगर-ए, झोटवाडा, जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि.....
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 12 माह 09 सन् 2022 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 13 माह 07 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
प्रस्तुतकर्ता
मोहर अदालत — अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट उत्तर, जयपुर महानगर द्वितीय

संख्यांक 2
विवादकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (उत्तर) स्थान जयपुर महानगर, जयपुर
राजेन्द्र भारद्वाज विरुद्ध वंशीधर शर्मा व अन्य
वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा।
वाद संख्या -7/सन् 2020
नाम वंशीधर शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण पता प्लाट नं. 190 श्रीराम नगर-ए, झोटवाडा, जयपुर ... ने आपके विरुद्ध....के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 12 माह 09 सन् 2022 को दिन में .... बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या कि